

प्रेषक,

शबीह ज़ेहरा,
अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
सहारनपुर।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
सहारनपुर।

विषय: माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 9691/IV-F-82 (Pension)/
Admin.(A) Dated: July 16, 2024 एवं शासनादेश संख्या- 14/2024/Sa-3-
243/X-2024/301(1)2024 dated 28-06-2024 एवं शासनादेश संख्या
20/2024/Sa-3-276/X-2024/301(1) 2024, dated 11-07-2024 के
अनुपालन में पुरानी पेंशन के विकल्प के सम्बन्ध में।

पत्रांक संख्या 57XV/Fc 2024

दिनांक 5.8.24

महोदय,

सादर निवेदन है कि प्रार्थिया की नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में उ०प्र० शासन के नियुक्ति आदेश (नियुक्ति अनुभाग-4, संख्या 2430/II-4-06-32(1) 2001 टी.सी.-1) दिनांकित 26.05.2006 के सापेक्ष माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्गत नोटिफिकेशन संख्या-1098/DR(S)/2006 दिनांकित 13.06.2006 के माध्यम से सिविल जज (जू.डि.) के पद पर हुई थी।

2. प्रार्थिया ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा निर्गत उक्त नोटिफिकेशन के अनुपालन में दिनांक 16.06.2006 को योगदान देते हुए जनपद देवरिया में सिविल जज (जू.डि.) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था।

3. प्रार्थिया की उ०प्र० न्यायिक सेवा में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति संख्या ए-2/ई-1/2003 प्रकाशित दिनांकित 15.11.2003 (रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन संख्या ए-2/ई-1/2003 दिनांकित 22-28 नवम्बर 2003) के अन्तर्गत नियुक्ति हुई थी। इस प्रकार प्रार्थिया शासनादेश संख्या 14/2024/Sa-3-243/X-2024/301(1) 2024, दिनांकित 28.06.2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने की पात्र है।

4. प्रार्थिया शासनादेश संख्या 20/2024/Sa-3-276/X-2024/301(1) 2024, dated 11-07-2024 के अनुक्रम में अपना विकल्प पत्र एवं घोषणा पत्र पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित कर रही है।

5. अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थिया को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किये जाने हेतु प्रार्थिया के विकल्प पत्र एवं घोषणा पत्र को संस्तुति एवं सहमति के लिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक-02.08.2024

भवदीया

संलग्नक-विकल्प पत्र मय घोषणा पत्र
दिनांकित 02.08.2024

अज्ञात

Shabih Zehra
05/08/2024

Shabih Zehra
02/08/2024
(शबीह ज़ेहरा)

अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
सहारनपुर।

1/c
5/8/24
PRINCIPAL JUDGE
FAMILY COURT
SARANPUR

शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024
का संलग्नक-

विकल्प पत्र

1. नाम- : शबीह ज़ेहरा
2. पदनाम- : अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
सहारनपुर।
3. वेतनमान- : 172960 (144840-194660, J-5)
4. वर्तमान विभाग का नाम- : न्याय विभाग / (माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद)
5. राज्य सरकार के अधीन
प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती
हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले
विभाग का नाम- : कार्मिक एवं न्याय विभाग (नियुक्त अनुभाग-4)
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
6. विज्ञप्ति की तिथि- : ए-2/ई-1/2003 प्रकाशित दिनांकित 15.11.2023
(रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन संख्या ए-2
/ई-1/2003 दिनांकित 22-28 नवम्बर 2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति तिथि- : दिनांक 26.05.2006 (उ0प्र0 शासन द्वारा जारी) एवं
दिनांक 13.06.2006 (माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद द्वारा जारी)
8. विभाग में योगदान तिथि- : दिनांक 16.06.2006
9. जन्मतिथि- : दिनांक 15.06.1977
10. सेवानिवृत्ति की तिथि- : दिनांक 30.06.2037

मैं, शबीह ज़ेहरा, (आई०डी०-यू.पी. 6319) पुत्री श्री सैय्यद शमसुल होदा शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1) 2024 दिनांक 28 जून 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देती हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाए।

हस्ताक्षर- Shabiha Zehra
नाम-शबीह ज़ेहरा, 02/07/2024
(आई०डी०-यू.पी. 6319)
पदनाम-अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, सहारनपुर।

घोषणा पत्र

मैं शबीह जेहरा, (आई०डी०-यू.पी. 6319) पदनाम अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सहारनपुर यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 ता 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर- *Shabih Zehra*
नाम- श्रीमती शबीह जेहरा *02/08/2024*
(आई०डी०-यू.पी. 6319)
पदनाम-अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, सहारनपुर।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

श्रीमती शबीह जेहरा, (आई०डी०- यू.पी. 6319) पदनाम अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सहारनपुर को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

Shabih Zehra
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति *05/08/2024*